पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1042
दिनांक-22.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त/आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 137(2)/87/351(2) बी0एन0एस0 बावत अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग बहन उम्र 17 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 21.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता/अपहृता को उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर मय हमराही पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी के क्रम में आधारखेड़ा थाना गुडम्बा लखनऊ से अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम प्रथ्वीपुर थाना इंटौजा, लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से पीड़िता/अपहृता को बरामद किया गया तथा अभियुक्त को दिनांक 21.06.2026 को समय 23.15 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता के साथ शादी के उद्देश्य से उसके साथ गया था।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 210/2026 धारा 137(2)/87/351(2) बी0एन0एस0 थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. आनन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम प्रथ्वीपुर थाना इंटौजा, लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. उ0नि0 संदीप सिंह गौर
2. हे0का0 पारसनाथ वर्मा
3. का0 अनिल कुमार
4. म0का0 शीला चौधरी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1040

दिनांक-22.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

"थाना महिगवां पुलिस द्वारा चोरी की 05 बैटरियां बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी।"

- **थाना महिगवां पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अदद चोरी की बैटरियां बरामद की गईं।**
- **घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त प्रकाश में आया है।**
- **बंद पड़े पेट्रोल पम्प के सोलर प्लांट से चोरी की गई बैटरियां अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद हुईं।**
- **पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए अपने साथी संग्राम का नाम बताया।**
- **फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।**

01-संक्षिप्त विवरण-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष थाना महिगवां के निर्देशन में थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर **पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2026 धारा 303(2) बीएनएस** से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 22.06.2026 को 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे/निशानदेही पर चोरी की **05 अदद बैटरियां** बरामद की गयीं।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 17.06.2026 को संग्राम पुत्र बसन्त निवासी ग्राम आधारखेड़ा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उन्हें एक-एक हजार रुपये का लालच देकर बिना नम्बर प्लेट की एक गाड़ी से मुसपिपरी स्थित बंद पड़े पेट्रोल पम्प पर ले गया था। वहाँ तीनों व्यक्तियों ने मिलकर सोलर प्लांट में लगी 10 बैटरियां चोरी की थीं। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी के बाद संग्राम 05 बैटरियां अपने साथ लेकर चला गया था तथा शेष 05 बैटरियां बाबागंज रोड पर पानी की टंकी के सामने सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा दी गई थीं। अगले दिन पुनः चोरी करने के उद्देश्य से पेट्रोल पम्प पर गये थे, किन्तु किसी व्यक्ति के आ जाने के कारण भाग गये। आज वे अपने हिस्से की बैटरियां बेचने के उद्देश्य से निकले थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये। ***पूछताछ के आधार पर संग्राम पुत्र बसन्त निवासी ग्राम आधारखेड़ा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।***

03- अपराध का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा एक अन्य साथी संग्राम के साथ मिलकर बंद पड़े पेट्रोल पम्प पर लगे सोलर सिस्टम की बैटरियों को चोरी किया गया था। चोरी की गई बैटरियों को सड़क किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था, ताकि अवसर मिलने पर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सके। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना, पतारसी-सुरागरसी एवं अभियुक्तों की निशानदेही के आधार पर चोरी की बैटरियां बरामद की गई।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. **अमन** पुत्र दिनेश निवासी ग्राम कल्लूपुरवा, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी, उम्र लगभग 20 वर्ष।
2. **विकास रावत** पुत्र स्वामी रावत निवासी ग्राम आधारखेड़ा, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 18 वर्ष।

05- आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

06- प्रकाश में आया अभियुक्त-

1. संग्राम पुत्र बसन्त निवासी ग्राम आधारखेड़ा, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ।

07- बरामदगी-

1. 03 अदद बैटरी एक्साइड कम्पनी।
2. 01 अदद बैटरी ल्यूमिनस कम्पनी।
3. 01 अदद बैटरी तेज (ल्यूमिनस) कम्पनी।

कुल 05 अदद चोरी की बैटरियां बरामद।

08- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.श्री राधेश्याम मौर्या, थानाध्यक्ष महिगवां (टीम प्रभारी)
2. उ0नि0 अंसार अहमद
3. उ0नि0 जयप्रकाश
4. उ0नि0 अजयपाल
5. का0 1624 राजू
6. का0 बनारसी
7. का0 आकाश

नोट : गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1041

दिनांक-22.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

थाना महिगवां पुलिस द्वारा अपहृता किशोरी को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को हरियाणा राज्य से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना महिगवां पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में अपहृता किशोरी को सकुशल बरामद किया।**
- **नामजद अभियुक्त कलीम को हरियाणा के जनपद करनाल से गिरफ्तार किया गया।**
- **तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन एवं पतारसी-सुरागरसी के आधार पर पुलिस ने सफल कार्रवाई की।**
- **हरियाणा स्थित कोहिनूर फैक्ट्री में दबिश देकर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।**
- **माननीय न्यायालय से 36 घंटे का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को लखनऊ लाया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष थाना महिगवां के निर्देशन में थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 70/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस** से सम्बन्धित अपहृता किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए नामजद अभियुक्त कलीम को राज्य हरियाणा के जनपद करनाल से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 21.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं लोकेशन के आधार पर थाना **घरौंडा जनपद करनाल, राज्य हरियाणा के ग्राम कोहण्ड स्थित अलीनगर रोड पर कोहिनूर फैक्ट्री** में दबिश देकर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय एसीजे (सीनियर डिवीजन)-कम-एसडीजेएम, घरौंडा से ***36 घंटे का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को थाना महिगवां लखनऊ लाया गया।***

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त कलीम पुत्र शकील ने बताया कि वह एवं पीड़िता एक-दूसरे को जानते हैं तथा **आपस में प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते थे।** इसी उद्देश्य से वह **दिनांक 04.06.2026** को पीड़िता को ग्राम गोधना, थाना महिगवां से अपने साथ लेकर हरियाणा चला गया था, जहाँ दोनों ग्राम कोहण्ड, थाना घरौंडा, जनपद करनाल में रह रहे थे।

03- अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर दिनांक 04.06.2026 को उसके घर से अपने साथ ले जाकर राज्य हरियाणा के जनपद करनाल में छिपाकर रखा गया था, जिससे परिजनों एवं पुलिस को उसकी जानकारी न हो सके। पुलिस टीम द्वारा **तकनीकी साक्ष्यों, लोकेशन एवं पतारसी-सुरागरसी** के आधार पर अभियुक्त एवं पीड़िता का पता लगाकर बरामदगी एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही सम्पन्न की गयी।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. **कलीम** पुत्र शकील निवासी रहीमनगर डुंडौली, थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ।
   उम्र लगभग 25 वर्ष।

05- आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

06- बरामदगी-

अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद।

07- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

2. श्री राधेश्याम मौर्या, थानाध्यक्ष महिगवां (टीम प्रभारी)
3. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार यादव (विवेचक)
4. उ0नि0 शशांक शुक्ला
5. म0का0 नेहा खानम

नोट : गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1043
दिनांक-22.06.2026

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

- ***थाना विकासनगर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।***
- ***अभियुक्तों ने सर्वेयर पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर धनराशि हड़प ली थी।***
- ***फर्जी नियुक्ति पत्र एवं कूटरचित ई-मेल आईडी तैयार कर पीड़ित को गुमराह किया गया था।***
- ***अभियुक्तों द्वारा संगठित तरीके से ठगी कर धनराशि आपस में बांटकर उपभोग की गई।***
- ***अपराध संख्या 194/2024 में वांछित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।***
- ***कमिश्नरेट लखनऊ की प्रभावी कार्रवाई से संगठित नौकरी दिलाने वाले गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई।***

01-कार्यवाही।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना विकासनगर के निर्देशन में थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी एवं कूटरचना करने वाले दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

02-घटना का विवरण

शिकायतकर्ता श्री दिलशाद हुसैन पुत्र स्व० हबीब अहमद निवासी जनपद बरेली द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विकासनगर पर दिनांक 04.11.2024 को **अपराध संख्या 194/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि** पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते थे तथा बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे धनराशि प्राप्त करते थे। इसी क्रम में शिकायतकर्ता के पुत्र **अमन नवाज** को सर्वेयर पद पर नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उससे धनराशि प्राप्त की गई।

अभियुक्तों द्वारा नौकरी का विश्वास दिलाने के लिए **फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए गए तथा कूटरचित ई-मेल आईडी बनाकर संबंधित विभागों के नाम से नियुक्ति पत्र भेजे गए।** साथ ही नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि पीड़ित को उपलब्ध कराकर उसे भ्रमित किया गया।

03-गिरफ्तारी का विवरण

अभियोग में वांछित अभियुक्त **पवन पाण्डेय** को दिनांक 21.06.2026 को उसके आवास के निकट दाऊदनगर क्षेत्र से थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

इसके उपरांत दूसरे वांछित अभियुक्त **सर्वेश पाण्डेय उर्फ मनोज कुमार यादव** को भी दिनांक 21.06.2026 को उसके निवास स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उनका न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया।

04-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्तगण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नौकरी दिलाने का झांसा देते थे तथा अभ्यर्थियों से धनराशि वसूलते थे। विश्वास पैदा करने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर कूटरचित ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजे जाते थे। नियुक्ति सुनिश्चित होने का झूठा भरोसा देकर प्राप्त धनराशि को आपस में बांटकर उपभोग कर लिया जाता था।

05-गिरफ्तार अभियुक्त

1. **पवन पाण्डेय** पुत्र स्व० गयानन्द पाण्डेय, निवासी सैदपुर, जनपद गाजीपुर, वर्तमान पता दाऊदनगर, थाना मड़ियांव, लखनऊ।
2. **सर्वेश पाण्डेय उर्फ मनोज कुमार यादव** पुत्र जगदीश प्रसाद यादव, निवासी जनपद जौनपुर, वर्तमान पता दाऊदनगर, थाना मड़ियांव, लखनऊ।

06-पंजीकृत/अनावरति अभियोग

- अपराध संख्या 194/2024
- धारा 420/467/468/471/120बी भारतीय दण्ड संहिता
- थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

07-आपराधिक इतिहास

- अपराध संख्या 312/2025 धारा 351(3)/352/340(2)/336(3)/338/318(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज।

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 भानु प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी लेखराज पन्ना
- उ0नि0 राजेश कुमार यादव
- आरक्षी राघवेन्द्र सिंह
- आरक्षी संजय पाण्डेय

नोट : गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

साइबर जागरुकता

प्रेस नोट सं.-1044 **दिनांक- 22.06.2026**

लखनऊ पुलिस द्वारा साइबर जागरुकता विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में, **पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के कुशल निर्देशन में आज **दिनांकः 22 जून, 2026** को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य विषय **"साइबर जागरुकता विषय पर"** यह कार्यक्रम रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ स्थित संगोष्ठी सदन में संपन्न हुआ।

कुशल मार्गदर्शन एवं संचालन-

यह महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार,** पुलिस उपायुक्त (अपराध/लाइन्स) **श्री अनिल कुमार**, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** तथा अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) **श्रीमती किरन यादव** के प्रभावी मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर अपराध/ट्रेनिंग सेल/लाइन्स) **श्री सुशील कुमार यादव** के पर्यवेक्षण में सुनिश्चित किया गया।

प्रतिभागी-

इस कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों से निम्नलिखित कर्मियों ने प्रतिभाग किया:

- समस्त थानों पर नियुक्त वर्ष 2025 बैच के चयनित **रिक्रूट आरक्षी** गण ने प्रतिभाग किया। ।
- कुल **58 पुलिसकर्मियों** की सहभागिता रही।

प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु एवं उद्देश्य

कार्यशाला में प्रशिक्षक **उ0नि0 श्री राकेश मिश्रा मय टीम (साइबर सेल, कमिश्नरेट लखनऊ)** द्वारा प्रतिभागियों को साइबर अपराध की जानकारी के प्रभावी उपयोग पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

1. **APK फाइल से होने वाले साइबर फ्राड के बारे में जानकारी दी गयी।**
2. **साइबर सम्बन्धी पोर्टल NCRP, संचार साथी व बेवसाइट के बारे में जानकारी दी गयी।**
3. मो0न0 के सीडीआर का अवलोकन करने के बारे में बताया गया।

4. **ऑनलाइन रिक्वेस्ट सिस्टम:** Facebook, WhatsApp, Twitter (X), Instagram आदि प्लेटफॉर्म के *Law Enforcement Online Request System* की जानकारी।
5. **त्वरित निस्तारण:** जांच प्रक्रिया को अधिक सटीक और त्वरित बनाकर साइबर अपराधों के अनावरण में गति लाना।

निष्कर्ष

इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य लखनऊ पुलिस की साइबर क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। कार्यशाला के माध्यम से पुलिस कर्मियों को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप सक्षम बनाया गया है, जिससे भविष्य में साइबर अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ में बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1045
दिनांक-22.06.2026

यातायात पुलिस लखनऊ

सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है, कि चन्द्रदर्शन के अनुसार इस्लामिक माह के दिनांकः-23.06.2026 से प्रारम्भ हो रहा है। सातवी मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा एक जुलूस (शाही जरी का जुलूस) सायंकाल समय 19.00 बजे से बड़ा इमामबाड़ा थानाक्षेत्र चौक से प्रारम्भ होकर रूमीगेट पुलिस चौकी चौराहा, घन्टाघर तिराहा, शीश महल, सतखण्डा तिराहा, रईस मंजिल, छोटा इमामबाड़ा थाना क्षेत्र-ठाकुरगंज, लखनऊ पर समाप्त होगा। अतः उक्त अवसर पर यातायात/डायवर्जन व्यवस्था (आवश्यकतानुसार) निम्न प्रकार की जायेगी।

1. सीतापुर रोड की ओर से आने वाले यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग से पक्का पुल होते हुये बड़ा इमामबाड़ा की ओर नहीं जा सकेंगें, बल्कि यह यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग ओवरबिंज से चौराहा नं0-08, आई0टी0 चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य स्थान को जा सकेंगे।
2. हरदोई रोड की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के यातायात कोनेश्वर चौराहे से घंटाघर नहीं जा सकेंगे बल्कि चौक, मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) होकर अपने गंतव्य को जा सकेगें।
3. कैसरबाग से सीतापुर रोड की ओर जाने वाले यातायात पक्कापुल की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात डालीगंज पुल से इक्का टांगा नदवा बन्धा से बाये आईटी चौराहा, कपूरथला चौराहा, मड़ियांव होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकंेगे।
4. कैसरबाग से हरदोई रोड को जाने वाले यातायात पक्का पुल की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि शाहमीना तिराहे से बांये मेडिकल कालेज, चौक, कोनेश्वर होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
5. हुसैनाबाद की ओर से आने वाला यातायात हुसैनाबाद (रामगंज) तिराहा से छोटा इमामबाड़ा होकर घंटाघर की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात हुसैनाबाद तिराहा से तहसीनगंज तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे एवं तहसीनगंज तिराहा से हुसैनाबाद को नहीं जा सकेंगे।
6. चौक चौराहा से खुन-खुन जी गर्ल्स डिग्री कालेज होकर सामान्य यातायात नींबू पार्क तिराहा (रूमी गेट चौकी चौराहा) की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात चौक चौराहा से मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) होकर मेडिकल कालेज चौराहा या कोनेश्वर होते हुये अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
7. नीबू पार्क फ्लाई ओवर से उतरने वाला यातायात रूमी गेट की तरफ नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात चौक चौराहा, ठाकुरगंज होकर अथवा चरक चैराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
8. मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहा से कोई यातायात नींबू पार्क (रूमी गेट चौकी चौराहा) की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात मेडिकल कॉलेज चौराहा या चौक कोनेश्वर होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
9. शाहमीना तिराहा से पक्कापुल होकर बडे इमामबाडे की ओर यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज चौराहा, मेडिकल क्रास(चरक) चौराहा, चौक, कोनेश्वर या डालीगंज पुल चौराहे से दाहिने आई0टी0 चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

10.नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी चौराहा) से किसी प्रकार का यातायात बड़ा इमामबाड़ा या घंटाघर, छोटे इमामबाड़े को नहीं जा सकेंगे बल्कि यह यातायात मेडिकल क्रासं (चरक) चौराहा या बन्धा रोड नया पक्का पुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

11.ग्रीन कॉरिडोर से आने वाले वाहन नीबू पार्क चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात टीले वाली मस्जिद या नया पक्का पुल पारकर खदरा की ओर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

12.नक्खास तिराहे से विक्टोरिया स्ट्रीट की ओर सामान्य यातायात नही जा सकेगा बल्कि यह यातायात रकाबगंज पुल/बाजार खाला होकर अपने गन्तब्य को जा सकंेगे।

13.मेडिकल क्रास (चरक) चौराहे सामान्य यातायात नक्खास तिराहा (विक्टोरिया स्ट्रीट) या फूलमण्डी, नींबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहा की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज, रकाबगंज पुल या चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

14.कुडिया घाट रोड तिराहा (नया पुल ढाल) से नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहा की ओर यातायात नही आ सकेगा, बल्कि यह यातायात बन्धा रोड या नया पक्का पुल होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

15.पक्कापुल चौराहे से बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट चौराहा, घण्टा घर तिराहा से छोटा इमामबाडा तक जूलूस के मार्ग पर यातायात के लिये पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

नोटः-जूलूस कार्यक्रम के दौरान सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग पर यदि किसी जन-सामान्य की चिकीत्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन इत्यादि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा वीआईपी कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यातायात पुलिस, लखनऊ।